



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2931]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 14, 2016/अग्राहायण 23, 1938

No. 2931]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 14, 2016/AGRAHAYANA 23, 1938

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2016

का. आ. 4022(अ).— केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, में का.आ. संख्यांक 79(अ), तारीख 4 फरवरी, 1997 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के तत्कालीन कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग की तारीख 3 फरवरी, 1997 की अधिसूचना का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्यांक 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-

“6. डॉ. हरमीत सिंह रेहान, प्राचार्य और प्रमुख,
फार्मोकोलोजी विभाग, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज,
नई दिल्ली।

सदस्य”।

[फा. स.13029\01\2016-पीपी-1]

अश्वनी कुमार, संयुक्त सचिव (पादप संरक्षण)

टिप्पण :— मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) में का.आ. संख्यांक 79(अ), तारीख 4 फरवरी, 1997 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1477(अ), तारीख 22 अप्रैल, 2016 द्वारा उसका अंतिम संशोधन किया गया।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
(Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare)
NOTIFICATION

New Delhi, the 9th December, 2016.

S. O. 4022(E).— In exercise of the powers conferred by section 5 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, dated the 3rd February, 1997, published in the Gazette of India, Extraordinary, vide, number S.O. 79(E), dated the 4th February, 1997, namely:-

In the said notification, for serial number 6 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

“6. Dr. Harmeet Singh Rehan, Professor and Head,
 Department of Pharmacology,
 Lady Harding Medical College,
 New Delhi.

Member”.

[F. No. 13029/01/2016-PP-I]
 ASHWANI KUMAR, Jt. Secy. (Plant Protection)

Note.— The principal notification was published in the Gazette of India Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 79(E), dated the 4th February, 1997 and last amended vide S.O. 1477(E), dated the 22nd April, 2016.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2016

का. आ. 4023(अ).— केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा. का. नि. संख्यांक 301(अ), तारीख 1 मार्च, 1971 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के तत्कालीन खाद्य, कृषि, समुदाय विकास और सहकारिता मंत्रालय की तारीख 27 फरवरी, 1971 की अधिसूचना का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में, मद (xvi) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-

“(xvi). डॉ. हरमीत सिंह रेहान, प्राचार्य और प्रमुख, (इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 3
 फार्मोकोलोजी विभाग, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज, वर्ष की अवधि के लिए)”।
 नई दिल्ली।

[फा. स.13029\01\2016-पी पी-1]

अश्वनी कुमार, संयुक्त सचिव (पादप संरक्षण)

टिप्पण :— मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड-(i) में सा. का.नि. संख्यांक 301(अ), तारीख 27 फरवरी, 1971 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1476(अ), तारीख 22 अप्रैल, 2016 द्वारा उसका अंतिम संशोधन किया गया।

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th December, 2016

S. O. 4023(E).—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in

the erstwhile Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation, dated the 27th February, 1971, published in the Gazette of India, Extraordinary, vide, number G.S.R. 301(E), dated the 1st March, 1971, namely:-

In the said notification, for item (xvi) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

“(xvi) Dr. Harmeet Singh Rehan, Professor and Head, Department of Pharmacology, Lady Harding Medical College, New Delhi. (For a period of three years from the date of publication of this notification)”.

[F. No. 13029/01/2016-PP-I]
ASHWANI KUMAR, Jt . Secy. (Plant Protection)

Note.— The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) ,*vide* number G.S.R. 301(E), dated the 27th February, 1971 and last amended vide S.O.1476(E), dated the 22nd April, 2016.

IndiaCode